**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर**

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 285/2021

**वादीगण–**

1. भंवरलाल पुत्र सीताराम
2. बजरंगलाल पुत्र सीताराम
3. रामसुख पुत्र सीताराम
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र सीताराम

जातियान– दर्जी, निवासीगण– दुगस्ताउ, तहसील–जायल।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण –**

1. सीताराम पुत्र रामचन्द्र
2. संतोष पुत्री सीताराम पत्नी सुरेश हाल निवासी जावला, डेगाना।
3. जमना पुत्री सीताराम पत्नी ओमप्रकाश हाल निवासी लादड़िया फौत के का.मु.
   3/1 विनोद पुत्र ओमप्रकाश
   3/2 कमल पुत्र ओमप्रकाश
   3/3 गोविन्द पुत्र ओमप्रकाश
   3/4 मैना पुत्री ओमप्रकाश
   जातियान– दर्जी, निवासी–लादड़िया, तहसील–डीडवाना।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

**उपस्थिति :–**

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित।

**दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय** दिनांक : 21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी की भूमियां मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1943/65 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर रहती चली आई है। वाद के साथ नजरीनक्शा भी पेश है जो वाद का ही एक भाग है। पक्षकारान् ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा घरेलू तौर पर वाद पत्र के पैरा संख्या 2 व 5 के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर में से 0.8255 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी बजरंगलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी रामसुख के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर पश्चिमी भाग



21/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी लक्ष्मीनारायण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर में से 0.7123 हैक्टेयर पश्चिमी भाग व खेत खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर में से 0.6474 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 1943/65 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच आपसी बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित न्यायालय ईकबाली जबाब पेश किया जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 3 के का.मु की पहचान अधिवक्ता इस्लामुदीन काजी ने की । ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है , जो कि वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 3 के का.मु द्वारा प्रकरण हाजा में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र रामसुख पुत्र सीताराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम दुगस्ताउ तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 889 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 3 के का.मु द्वारा ईकबालिया जबाब पेश किया जा चुका है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक वाद में वर्णित पैराज माफिक एवं नजरीनक्शानुसार अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 व 3 के का.मु द्वारा सहमति स्वरूप ईकबालिया जबाब पेश होने तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 व 3 के का.मु द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने

अपेक्षित होते है, जो कि किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 3 के का.मु ने माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा दुगस्ताउ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त खेतायों में मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नं. 1943/65 की भूमि को यथावत तथा शेष मुतदाविया खसरान् संख्या 104, 39, 519 में हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा गया है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नंबर 104, 39, 519 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 24.02.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 24.02.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3385 दिनांक 15.5.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी भंवरलाल, बजंरगलाल, रामसुख, लक्ष्मीनारायण, सीताराम, विनोद कमला, गोविन्द ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान रमेश पारासर तथा भू.अभि.निरीक्षक मांगलोद की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तकरण का प्रतीत होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1943/65 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

**– : : आदेश : : –**

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1943/65 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर में से 0.8255 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी बजरंगलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर में से 0.6313 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी रामसुख के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. वादी लक्ष्मीनारायण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.9713 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर में से 0.7123 हैक्टेयर पश्चिमी भाग व खेत खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर में से 0.6313 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 1943/65 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 2,3 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो (रहन होने के संबंध में)
8. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

राजस्व वाद 285/2021
जीसीएमएस नंबर– 2021/
भंवरलाल वगैरह बनाम् सीताराम वगैरह

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 285/2021

वादीगण–

1. भंवरलाल पुत्र सीताराम
2. बजरंगलाल पुत्र सीताराम
3. रामसुख पुत्र सीताराम
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र सीताराम, **जातियान–दर्जी, निवासीगण– दुगस्ताउ, तहसील–जायल।**

**बनाम**

प्रतिवादीगण –

1. सीताराम पुत्र रामचन्द्र
2. संतोष पुत्री सीताराम पत्नी सुरेश हाल निवासी जावला, डेगाना।
3. जमना पुत्री सीताराम पत्नी ओमप्रकाश हाल निवासी लादड़िया फौत के का.मु.
   3/1 विनोद पुत्र ओमप्रकाश
   3/2 कमल पुत्र ओमप्रकाश
   3/3 गोविन्द पुत्र ओमप्रकाश
   3/4 मैना पुत्री ओमप्रकाश, **जतियान– दर्जी, निवासी–लादड़िया, तहसील–डीडवाना।**
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित।

**दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**– : : डिक्री आदेश : : –**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाकर–यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1943/65 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर में से 0.8255 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

21/6/2022
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

2. वादी बजरंगलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर में से 0.6313 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी रामसुख के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. वादी लक्ष्मीनारायण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 519 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.9713 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 104 रकबा 1.5378 हैक्टेयर में से 0.7123 हैक्टेयर पश्चिमी भाग व खेत खसरा नंबर 39 रकबा 1.2626 हैक्टेयर में से 0.6313 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 1943/65 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 2,3 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो (रहन होने के संबंध में)
8. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

राजस्व वाद 285/2021
जीसीएमएस नंबर– 2021/
भंवरलाल वगैरह बनाम् सीताराम वगैरह

**तीज – मुबलिग – बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)